महत्वपूर्ण एवं खास

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 सितम्बर को

रायगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन में 8 सितम्बर को सभी मामलों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 सितम्बर को किया जाएगा।

विधानसभा आम चुनाव-2018 की तैयारी के संबंध में 11 अगस्त को बैठक

रायगढ़। कलेक्टर श्रीमती शम्मी आबिदी की अध्यक्षता में विधानसभा आम चुनाव 2018 की तैयारी हेतु जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा आयुक्त एवं समस्त तहसीलदार सह सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की समीक्षा बैठक 11 अगस्त को अपरान्ह 3 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आहूत की गई है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ ने सर्वसंबंधित विभागीय अधिकारियों को 9 अगस्त अपरान्ह 3 बजे तक एजेण्डावार जानकारी ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराने तथा नियत तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

गहने बेचने के लिए गया ज्वेलर्स के पास दुकानदार की सूझबूझ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। शहर में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी पर लगाम लगाने एवं आरोपियों के धरपकड़ गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस कप्तान ने पुलिस जवानों एवं अधिकारियों की पेट्रोलिंग टीम का गठन किया है। जिसमें गोपी टकीज के सामने सिल्वर पैलेस पर कोई व्यक्ति गहने बेचने के लिए आया हुआ है।जिसकी गतिविधियां संदिग्ध परिस्थितियों प्रतीत हुआ। जिसकी सूचना कोतवाली टीआई को दी गई। थाना प्रभारी ने इस सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पूछताछ के लिए टीम भेजा गया। जहां पुसौर थाना क्षेत्र ग्राम ठेंगागुड़ी निवासी सरोज उर्फ मन्नू सिदार को पूछताछ के दौरान कई चौका देने वाला खुलासा हुआ । हिरासत में लिए गए आरोपी ने बताया कि वह छातामुड़ा में गाड़ी बनाने का काम करता है। जो चोरी के गहने खपाने यहां आया था। इसके साथ ही वह मोटरसाइकिल चोरी का भी काम करता है। उक्त कार्य मे उसका साथ देने उसका दोस्त नीलमणि भी सहयोग करता था। वही आरोपी से शहर के विभिन्न इलाके से मोटरसाइकिल की चोरी की घटना को अंजाम दिया है वही उसके पास से 6 मोटरसाइकिल 1 पल्सर दो हीरो डीलक्स, ग्लैमर व दो एक्टिवा वाहन के साथ साथ सोने की चौन भी बरामद किया गया है। उक्त वाहन बरमकेला, गोबरसिंघा, ग्राम मुड़ियाडीह सारंगढ़, बोन्दा पुसौर से चुराना बताया है। फिलहाल दोनों आरोपी को न्यायायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।

खरसिया धरमजयगढ़ क्षेत्र में उठाईगीरी करने वाले नट गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार

रायगढ़। जिले के अलग- अलग थाना क्षेत्र में उठाईगीरी करने वाले पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए थे। वारदात के बाद जिला पुलिस मामले की हर पहलुओं पर जांच कर रही थी। इस कड़ी में शहर में कुछ लोगों को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त देखा गया। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उठाईगीरी का खुलासा हुआ। सभी आरोपी नट गिरोह के हैं।

अतरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कंट्रोल रूम में पत्रकावार्ता के दौरान बताया कि पिछले दो माह से लगातार उठाईगीरी की घटना हो रही थी। एसपी ने तत्काल आरोपियों को पक?ने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच में तेजी लाई। इसी दौरान खरसिया पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ संदेही बैंक के आसपास लगातार नजर आ रहे हैं। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। सभी संदेही नट गिरोह से जुड़े हैं। पूछताछ में पता चला कि हरि उर्फ विशाल, अनिल नट, जितेंद्र नट, उमेश नट, श्रवण नट व असंत ने खरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 35 हजार, 40 हजार, 15 हजार और धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत 35 हजार की उठाईगीरी की है। सभी आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया ।

उक्कल एक्सप्रेस से महिला की मोबाइल चोरी

रायगढ़। ट्रेनों में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नही ले रहा है जिसमें एक बार फिर से उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन में मोबाईल चोरी होने का मामला सामने आया है। जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर निवासी मनीषा कुशवाहा अपनी सहेली के साथ उत्कल एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में सफर कर रही थी। इस दौरान चांपा स्टेशन के पास आरोपी ने महिला के मोबाइल को बड़े चालाकी से पार कर दिया। वही महिला अपने सफर में मशगूल थी जिस कारण उसे घटना की भनक काफी देर बाद हुई। इस बीच ट्रेन रायगढ़ पहुंच चुकी थी और आरोपी उतर कर जा रहा था। जीआरपी पुलिस की सक्रियता से स्टेशन प्लेटफर्म में घूम रही थी। तभी संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को देखे जाने के बाद आरोपी को पकड़कर पूछताछ किया गया जहां उसने अपना नाम बसंत चौहान बताया। सघन पूछताछ करने पर उसने महिला का मोबाईल चोरी करना बताया है। आरोपी बसंत से मोबाइल जब्त कर कानूनी कारवाई करते हुए जेल भेजा गया।

रायगढ़ में आदर्श पुलिसिंग की सख्त जरूरत : सामाजिक न्याय संघ

नामजद दोषियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध नहीं करने सम्बंधी शिकायत | धारा 452 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध करने हेतु हेड कान्स्टेबल द्वारा बीस हजार रुपये की मांग

संदर्भ 01: घटना दिनांक 29/06/2018 को शाम 5.30 बजे लगभग

संदर्भ 02: एफ.आई.आर. क्र 33340027180943

न्यायसाक्षी रायगढ़। जहां एक तरफ आदिवासी समाज के लागों को समाज की मुख्य धारा में जोड़े जाने की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ समाज के एक बेहद महत्वपूर्ण अंग पुलिस के द्वारा न्यायोचित कार्यवाही नहीं होने की शिकायत आ रही है। इसी परिपेक्ष्य में सिटी कोतवाली रायगढ़ पदस्थ पुलिस के कर्मचारी के विरूद्ध लिखित शिंकायत मय शपथपत्र सामाजिक न्याय संघ के समक्ष प्रस्तुत हुई।

सामाजिक न्याय संघ, जो कि शासन से मान्यता प्राप्त संस्था है, के समक्ष अपने आवेदन मय शपथ-पत्र में आवेदिका ने कहा कि, मैं ''जानकी सिदार'' जौ.जे. स्व. प्रेमलाल, उम्र 42 वर्ष लगभग, निवासी रामबाग के पीछे, मोदीपारा, कोतरा रोड, रायगढ़, थाना कोतवाली रायगढ़, जिला रायगढ़, छ.ग., मो.नं. 81036XXXXX, की रहने वाली होकर आपके समक्ष उक्त विषयांकित एवं संदर्भित शिकायत प्रस्तुत करती हूं - कहा कि, मैं आदिवासी समाज से आने वाली विधवा महिला हूँ , और मैं 100 बिस्तर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल, रायगढ़ में कार्यरत् हूँ। मैं दिनॉक 29/06/2018 को दोपहर 2 बजे के लगभग, अपने कर्तव्य हेतु गई हुई थीं। मेरे घर में मेरा नाबालिग पुत्र सत्यजीत सिदार एवं पुत्री कुसुम सिदार थें। शाम करीब 5.49 मिनट बजे मुझे घर से फोन आया कि मेरे पुत्र को और मेरी पुत्री का घर के अंदर घुसकर इंद्रजीत नेस्टो, आर्यन चौबे, श्रीमती अशोक नेस्टो एवं इंद्रजीत का छोटा भाई यशवंत उर्फ छोटू मिलकर मार रहे हैं। मैं तत्काल अपने घर के लिए निकली, घर पहुँच के मैंने देखा कि मेरे घर के दरवाजे को तोड़ दिया गया है, और मेरे पुत्र एवं पुत्री के साथ बुरी तरह से मार-पीट की गई है। मैंने अपने कर्तव्य से निकलते-निकलते अपने कुछ परिचितों को एवं पुलिस को फोन कर दिया था, जिससे पुलिस पहुँच गई थीं। पुलिस वाले इंद्रजीत के घर में बैठे थें, और मुझे वहाँ बुलाए तो जब मैं वहाँ गई तो इंद्रजीत की माता श्रीमती अशोक नेस्टो मुझे पुलिस के सामने ही गाली-गलौज करने लगी, जिसे एक 2 स्टार पुलिस वाले ने रोका था। विस्तार से अपने आवेदन में बताया कि, इसके बाद पुलिसवाले बोले कि आप लोग थाना कोतवाली आईये। हम लोग वहाँ गए तो टीआई ने कहा कि दोनो पक्ष अपने-अपने आवेदन दे दो, इसके बाद मेरे पुत्र को मुलाहिजा हेतु ले जाया गया, थाने में मेरे पुत्र एवं पुत्री को घर के अंदर घुसकर मारने वाले लोगों ने, फोन कर-कर के बहुत से लोगों को इकठ्ठा कर लिया और पुलिस पर दबाव बनाने लगे। जिस दबाव के कारण कई पुलिस वाले थाने में हमारे पास आए और कहने लगें कि कम्प्रोमाईस् कर लो, तब मैंने कहा कि नहीं करना है। कहा कि, हमारी एफ.आई.आर. नहीं लिखी जा रही थीं, और मेरे घर में घुसकर मार-पीट करने वाले मोहल्ले में घूम-घूम कर मेरे पुत्र एवं पुत्री के लिए चिल्ला-चिल्लाकर गाली-गलौज कर रहे है, बोल रहे हैं कि जान से मार देंगे, साले इज्जत ले लेंगें। जिससे मैं और मेरा नाबालिग पुत्र एवं पुत्री बेहद भयभीत हैं, मैं शासकीस कार्य में हूं, बच्चे घर में अकेले रहते हैं, अतः हमें सुरक्षा चाहिए।

जानकी सिदार

सत्यजीत

INDIA NON JUDICIAL
Government of Chhattisgarh
e-Stamp
Certificate No. : IN-CG0824536440579O
Certificate Issued Date : 08-Aug-2018 11:28 AM
Account Reference : SHCIL (FI) cgshcil01/ RAIGARH/ CG-FIG
Unique Doc. Reference : SUBIN-CGCGSHCIL0105931510394589O
Purchased by : JANKI SIDAR
Description of Document : Article 4 Affidavit
Property Description : NA
Consideration Price (Rs.) : 0 (Zero)
First Party : JANKI SIDAR
Second Party : NA
Stamp Duty Paid By : JANKI SIDAR
Stamp Duty Amount(Rs.) : 10 (Ten only)
NOTARIAL
NOTARIAL
0005879664

कहा कि, हमारा आपसे निवेदन है कि मैं पीड़ित हूं, और बहुत परेशान हूं, भयभीत हूं, इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कराए जाने बाबत् मेरे द्वारा पूर्व में एक आवेदन दिनॉक 30/06/2018 को आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अवलोकनार्थ उक्त फोटोकॉपी इस आवेदन के साथ प्रस्तुत है। कहा कि, करीब एक महीने बाद, एवं उक्त रिपोर्ट कोतवाली थाना में लिखित में, करने के बाद बयान लेने और बयान में नामज़द दोषियों में से ''आर्यन चौबे'' एवं ''छोटू'' उर्फ यशवंत के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया, जो कि न्यायोचित नही है। यह भी कहा कि, एफ.आई.आर. में ''इंद्रजीत नेस्टो'' का नाम ''दन्द्रजीत नेस्टो'' लिखा है, जो कि लापरवाही को प्रमाणित करता है। कहा कि, एफ.आई.आर. में यह कथन स्पष्ट रुप से अंकित है कि '' लेकिन दंद्रजीत नेस्टो आर्यन चौबे और श्रीमती अशोक नेस्टो मुझे मारने आये बाद में छोटू (इन्द्रजीत नेस्टो का भाई) भी आया और सब मिलकर घर घुसकर मार-पीट करने लगे दरवाजा भी तोड़ दिया है - '' स्पष्ट है कि नाबालिग आदिवासी को घर घुसकर मारने का अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, जो कि नहीं किया गया, जो कि तत्काल कार्यवाही किए जाने योग्य है। आवेदिका ने कहा कि, कारित किए गए अपराध जिसमें एक नाबालिग आदिवासी बच्चे को ''घर में घुसकर मार-पीट करने और घर का दरवाजा तोड़ देने सम्बंधी नामज़द शिकायत में'' धारा 452 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध करने हेतु, कोतवाली पुलिस में पदस्थ गुप्ता हेड कान्स्टेबल द्वारा 20,000/-रु. अक्षरांक बीस हजार रुपये की मांग की गई है, नहीं दिए जाने पर, उक्त धारा के तहत् अपराध को पंजीबद्ध नहीं किया जाकर जमानती अपराध दर्ज किया गया, जो कि बेहद गलत है। इस हेतु आवेदिका ने एफ.आई.आर. की सिस्टम से जनरेटेड कॉपी भी प्रस्तुत की है।

कहा कि, हमारा आपसे निवेदन है कि मैं पीड़ित हूं, और बहुत परेशान हूं, मैं यह आवेदन मय दस्तावेज आपके समक्ष सामाजिक न्याय संघ के माध्यम से, मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर रही हूं। इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कराया जाकर न्याय दिलाए जाने की कृपा की जावे। जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सामाजिक न्याय संघ ने इसे श्रीमान् राज्यपाल महोदय, राजभवन, मुख्यमंत्री महोदय, मानवाधिकार आयोग, ब्लॉक सी, जीपीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली, राज्य महिला आयोग, गायत्री भवन, रायपुर, अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर के साथ पुलिस महानिदेशक, छ.ग. शासन, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, रायगढ़, को भेजा है, और न्यायोचित कार्यवाही की आशा व्यक्त की है।

अपने आवेदन के साथ आवेदिका ने दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं, जिनमें सत्यजीत सिदार का हाईस्कूल का सर्टिफिकेट, जिससे उसकी उम्र प्रमाणित होती है, श्रीमती जानकी सिदार का शपथ-पत्र, श्रीमती जानकी सिदार का जाति प्रमाण-पत्र, सत्यजीत सिदार का जाति प्रमाण-पत्र, थाना प्रभारी, थाना कोतवाली में प्रस्तुत किया गया आवेदन दिनांक 29/06/2018, श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ जिला रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30/06/2018, एफ.आई.आर. की सिस्टम से जनरेटेड कॉपी दिनांक 29/07/2018 14:45:12.0, श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ जिला रायगढ के समक्ष प्रस्तुत आवेदन दिनांक 31/07/2018, थाना प्रभारी, थाना कोतवाली में प्रस्तुत किया गया आवेदन दिनॉक 31/07/2018, जिसमें खुलेआम रिश्वत मांगने के सम्बंध में लेख किया गया है, और इस हेतु शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्रकरण की गंभीरता पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

जसप्रीत सिंह जॉली एवं सैयद सफदर हुसैन बने युवा जनता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव

रायगढ़। जनता कांग्रेस में लगातार सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने और पार्टी के प्रति कार्य को देखते हुए युवा जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी द्वारा रायगढ़ लोकसभा में पदोन्नति सूची जारी किया गया, जिसमें रायगढ़ के जसप्रीत सिंह जॉली एवं जशपुर से सैयद हुसैन को प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया गया है। दोनों ही युवा अपने अपने क्षेत्रों के युवाओं में बहुत ही लोकप्रिय है।

हजारो युवा वर्ग इस पार्टी से जुड़े रहे है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का युवा ये बात भली-भांति जानता है अगर प्रदेश मे कोई ऐसा नेता है जो युवाओ के भविष्य के बारे मे सोचता है तो एक मात्र अजीत जोगी जी। इसी बात को ध्यान में देखते हुए युवा उत्साही दोनों युवाओ को प्रदेश में पदोन्नत किया गया।

इनकी नियुक्ति से रायगढ़ और जशपुर दोनों जगह पार्टी मजबूत होगी।

वही इस पदोन्नति से युवा जगत के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है

इन्होंने अपनी नियुक्ति पर अजीत जोगी, अमित जोगी, प्रदेश अध्यक्ष विनोद तिवारी और रायगढ़ विधायक प्रत्याशी विभाष सिंह ठाकुर के प्रति आभार माना।।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की खरसिया,सारंगढ़, पुसौर, तमनार,घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

सामाजिक न्याय संघ
शासन से मान्यता प्राप्त
Registered with Govt. No. 5526
अधिकार से न्याय तक

क्या आपको लगता है कि सभी को जीने का समान अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक पीड़ित मानव की भरसक सहायता की जानी चाहिए, तो, आईये हमारे साथ, हम सब मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करें।

छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिले, तहसील, विकास खण्ड अथवा किसी भी ग्राम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी प्रकार की न्यायिक, गैर-न्यायिक, सामाजिक, राजनीतिक या गैर- राजनीतिक समस्या हो, तो समस्या को सुलझाने एवं न्याय प्राप्ति हेतु आवेदन आमंत्रित हैं।

हमारी उपलब्धियां

आवश्यकता है

शासकीय मान्यता प्राप्त संघ में ऊर्जावान कर्मठ पदाधिकारियों एवं सदस्यों की आवश्यकता है। जो भी इस संस्था से जुड़कर कार्य करना चाहते हों वे अपने समस्त बायोडाटा के साथ सामाजिक न्याय संघ के निम्नांकित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

क्र.	स्थान	पद
1	रायगढ़ जिला एवं समस्त ब्लॉक	45
2	सरगुजा जिला एवं समस्त ब्लॉक	35
3	जशपुर जिला एवं एवं समस्त ब्लॉक	40
4	कोरबा जिला एवं समस्त ब्लॉक	25
5	जांजगीर-चांपा जिला एवं समस्त ब्लॉक	50

व्ही.टी.पी. कार्यालय : श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास रायगढ़ (छ.ग.)
प्रधान कार्यालय : रवि सदन, रवि विहार बस्तर बाड़ा रायपुर (छ.ग.)
सम्पर्क करें-9589876400, 9039961090
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
website : www.sjunion.org